न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त
उपनिवेशन, बीकानेर

अपील संख्या 7/2017

श्रीमति संतोष कंवर पत्नी श्री किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी तहसील व जिला बीकानेर

—— अपीलान्ट

बनाम

1– रम्मा पत्नी स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी गोयलरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2– राजस्थान सरकार

—— रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रणजीत सिंह , अभिभाषक, अपीलान्टा
2. श्री जुगल किशोर पुरोहित पैरोकारराज

न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर

–: निर्णय :–

दिनांक :– 16–07–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपनिवेशन तहसील, गजनेर मुकाम कोलायत की आज्ञा आदेश दिनांक 4–8–2017 के विरूद्व निरस्त करने हेतू दिनांक 11–9–2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

(2) संक्षेप में अपीलमीमो के निस्तारणार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाप्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट को सबूत व सुनवायी का का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 4–8–2017 स्वीकार किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अपीलान्टा द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 से जरिये बैयनामा दिनांक 28.8.15 से वाके रोही ग्राम रणधीसर के उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0. कोलायत के खसरा नम्बर 178/3 की 20 बीघा खातेदारी भूमि जिसकी खातेदारी सनद जो कि सक्षम न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर द्वारा विधिवत रूप से जारी की गई थीं जिस अनुसार भूमि खरीद की गई जिसके बैयनामा इन्तकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 23.6.17 को अधीनस्थ तहसील हाजा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर विधिवत रूप से पटवारी हल्का से रिर्पोट मंगवाई गई रिर्पोट अनुसार सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के पत्र क्रमांक 942 दिनांक 27.9.15 व तहसील के क्रमांक 900 दिनांक 4.9.15 की पालना मे खसरा नम्बर 178/3 तादादी 100 बीघा भूमि खातेदारी निरस्त हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजे गये हैं। जिसके आधार पर अधीनस्थ तहसील

Scanned by CamScanner

हाजा द्वारा अपीलान्टा का बैयनामा इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आदेश अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय, विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अपीलान्ट द्वारा शुद्व रूप से स्टाम्प ड्यूटी भरकर रेस्पोडेन्ट सं0 1 की सहमति से भूमि खरीद की हैं तथा अधीनस्थ सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से खातेदारी सनद जारी होने के पश्चात भूमि खरीद की गई हैं जिसमें अपीलान्टा का कोई दोष नही हैं यह तथ्य भली–भांति रूप से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से बिना खातेदारी के निरस्त हुवे बिना महज प्रस्ताव के आधार पर बैयनामा नामान्तरकरण दर्ज न करने व प्रार्थना पत्र निरस्त कर भारी विधिक भूल की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून न्याय होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही हैं। लिहाजा अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें।

(5) आदेश अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी के समक्ष दिनांक 4.8.17 को जारी किया गया। प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 30.8.17 को रूपये पैसे की व्यवस्था कर नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तैयारी नकल दिनांक 7.9.17 को नकल प्राप्त हुई आज दिनांक विलम्ब किये बिना अपील आज को प्रस्तुत की जा रही है।

(6) इस अपील के नोटिस भिजवाये गये। सरकार की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आए तथा अपीलान्टगण की ओर से श्री रणजीत सिंह निर्वाण एडवोकेट उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख पत्रावली सं0 19/17 बैयनामा इन्तकाल ग्राम रणधीसर मंगवाई जाकर पत्रावली के साथ संलग्न करवाया।

(7) बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तलब किया गया। तलबी पर यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती रम्भा का देहान्त हो चुका है। इस रिपोर्ट के पश्चात अपीलान्ट की ओर से आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने का प्रस्तुत किया जिसका औपचारिक जवाब राज्यपक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है व बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जबकि राज्यपक्ष का कथन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 में मृत्यु की दिनांक अंकित नही होने से यह प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज योग्य है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु दिनांक अंकित नहीं होने तथा मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नही होने के कारण यह निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है कि अपीलान्ट का

Scanned by CamScanner

प्रकरण आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के अन्तर्गत अन्दर मियाद है या नहीं। यह भी सम्भव है कि अपीलान्ट ने अपील मृतक रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध पेश की हो तथा यह भी सम्भव है कि अपीलान्ट ने आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत करने के कारण अपील अपीलान्ट अबेट हो चुकी हो तथा अपीलान्ट द्वारा अबेटमेन्ट को सेट–ए–साईड करवाये बिना ही कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हो। अपीलान्ट को मृत्यु दिनांक व मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु वे इसमें विफल रहे है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र व अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16–07–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned by CamScanner